न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /21/2022

ताराचन्द पुत्र बदनसिंह जाति जाटव निवासी नगला अरतावन तहसील व जिला भरतपुर

.....**अपीलार्थी**

बनाम

1. जय प्रकाश पुत्र बदनसिंह
2. परवीर पुत्र ओमप्रकाश
3. संदेश पुत्र ओमप्रकाश

} जाति जाटव निवासी नगला अरतावन तहसील व जिला भरतपुर

4. तहसीलदार भरतपुर

.....**रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015

उपस्थितः–

1– श्री विजय सिंह कुन्तल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2– श्री हरीदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पो. नं.1,2,3
3– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 बाके नौंह तहसील व जिला भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर के आदेश व डिक्री दिनांक 23.09.2013 की पालना में गलत दर्ज किया गया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24.06.2022 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. नं.1,2 व 3 की ओर से अभिभाषक श्री हरीदत्त शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल है, तथा रेस्पो. 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि नामान्तरण सख्या 1460 तहसीलदार भरतपुर द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी भरतपुर आदेश व डिक्री दिनांक 23.09.2013 की पालना में खोला गया है उक्त आदेश व डिक्री में स्पष्ट अंकित है कि उक्त आराजी में वादी संख्या 1 के वारिसान 1/4–1/4 वहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा तथा तरतीवी प्रतिवाद संख्या 2,3,4 वहिस्सा बराबर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

3/4 हिस्सा के खादेतार काश्तकार घोषित किये हैं। डिक्री के मुतावक अपीलान्ट 1/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1/16 तथा 3/4 में से 1/3 अर्थात संपूर्ण में से 1/4 कुल 1/16+1/4 अर्थात 5/16 हिस्सा का खातेदार डिक्री में घोषित किया है परन्तु नामान्तकरण में 1/4 हिस्सा में से 1/4 हिस्सा में अर्थात 1/4 हिस्सा में वहिस्सा बराबर तो दर्ज कर दिया परन्तु 3/4 हिस्सा में 1/3 जो अपीलान्ट के लिये तरतीवी रेस्पोडेन्ट के रूप में घोषित किया गया था व नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया जबकि आदेश व डिक्री के मुताविक नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिये था। नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 खसरा नम्बर 2061 व 2065 वाके ग्राम नौंह की हद तक खिलाफ कानून व मौका व रिकार्ड, डिक्री के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपील देरी से पेश करने के सन्दर्भ में अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 23.06.2022 को हुई, जानकारी होने पर नकल वगे0 लेकर अपील पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करते हुये अपील स्वीकार की जाकर नियमों के विपरीत पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 खसरा नम्बर 2061 व 2065 की हद तक निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. संख्या 1, 2 व 3 ने जबाब को ही बहस शुमार किये जाने का निवेदन किया है। अभिभाषक रेस्पो. ने अपने जबाब में अंकित किया है कि मुताविक डिक्री खसरा नं. 2061 व 2065 कुल 27 ऐयर के होते हैं तथा मुताबिक डिक्री तीनों पक्षकार ताराचन्द, जयप्रकाश व ओमप्रकाश तीनों भाई बराबर के हिस्सेदार होने चाहिये, ओमप्रकाश के मरने के बाद उनके 1/3 हिस्से के वारिस परमवीर व संदेश भी 1/3 हिस्से के हिस्सेदार होने चाहिये लेकिन अपीलान्ट ने अपनी अपील में सवंय को 5/16 व रेस्पो. संख्या 1 जयप्रकाश को 5/16 का दुरस्ती होना लिखा है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 परमवीर को 5/16 व रेस्पो. संख्या 3 संदेश को 1/16 दिया जाना लिखा है जबकि परमवीर व संदेश दोनों भाई 5/16 यानी बराबर के हिस्सेदार हैं। अतः अपील में इस एतराज के साथ तय किये जाने योग्य है कि परमवीर व संदेश दोनों इस आराजी 5/16 हिस्से वहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर अमल दरामद किया जावे। वकील रेस्पो. का यह भी कहना है कि दोनों रकवा 2061 व 2065 कुल 27 ऐयर के होते हैं जिसमें तीनों भाई बराबर के हिस्से डिक्री में घोषित किये। अतः तीनों को 9/27 हिस्सा दर्ज होना चाहिये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :—

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 एवं निर्णय डिक्री दिनांक 23.09.2013 का अवलोकन किया। आदेश डिक्री दिनांक 23.09.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करते समय आदेश व डिक्री की पूर्ण पालना नहीं की गई है। यह तथ्य दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं। उपरोक्त विवेचानानुसार प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं कि वह उपखण्डाधिकारी भरतपुर के निर्णय दिनांक 23.09.2013 की अक्षरशः पालना करें तथा आराजी के 5/16 हिस्सा बाबत् पुनः जॉच करें तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1460 दिनांक 18.03.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे उपखण्डाधिकारी भरतपुर के आदेश व डिक्री दिनांक 23.09.2013 अनुसार आराजी के 5/16 हिस्सा बाबत् पुनः जॉच करें तथा सम्बन्धित पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत पुनः विस्तृत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनाक 15.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर